वकीलों के परिवारीजनों की अनदेखी पर नाराजगी

लखनऊ : सूबे के वकीलों में आधा दर्जन जिलों में मारे गए वकीलों के परिवारीजनों को आर्थिक सहायता और उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी ना मिलने से काफी नाराजगी है। इसके विरोध में यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन परेश मिश्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल राम नाईक से मिला । परेश ने राज्यपाल से मांग की कि वह वकील समुदाय पर हमले करने वाले अपराधियों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से सरकार से प्रभावी कार्रवाई कराएं। उन्होंने जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गोरखपुर, कानपुर व आजमगढ़ में अपराधियों द्वारा मारे गए वकीलों के लिए आर्थिक मुआवजा दिलाने के साथ—साथ सरकारी नौकरी देने की मांग भी की।

पंद्रह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यह भी मांग की कि वह सरकार से नए वकीलों को प्रोत्साहन भत्ता व वृद्ध वकीलों को पेंशन दिलाने की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी कराएं। परेश ने सपा सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है और इसीलिए लोगों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता समाज पर ही खतरा मंडराने लगा है। और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे वकीलों की सरेआम हत्याया कर रहे हैं।

अवधबार की नयी पहल

युवा अधिवक्ताओं का सम्मान

○दीपक तिवारी, एडवोकेट

लखनऊ : उच्च न्यायालय परिसर के टेनिस कोर्ट लॉन में आयोजित एक समारोह में 100 युवा अधिवक्ताओं को लॉ की पुस्तकें और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी ने अधवक्ताओं से कहा कि यह संविधान की किताबें समाज के विकास का निचोड़ है उसे समझें। न्याय ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है। यह विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सम्मानित अधिवक्ताओं में 21 महिला अधिवक्ताएं भी शामिल थीं, जिन्हें सम्मान दिया गया। इस अवसर पर जस्टिस एस.एन. शुक्ला, जस्टिस एस.एस. चौहान, जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना, जस्टिस राजन राय, जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।

इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष एचजीएस परिहार ने बार को पच्चीस हजार रुपये दान किए। उन्होंने बताया कि 2002 से 2015 तक रजिस्टर्ड हुए वकीलों में 200 वकीलों को चुना गया है। इनमें से 100 को अभी सम्मानित किया गया है जबकि बाकी 100 युवा वकीलों को अगले समारोह में सम्मानित किया जाएगा। एसोसिएशन के महासचिव आरडी शाही ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंबिका त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का सम्मान किया।

एम.एल.सी. के विरुद्ध 420 का मुकदमा

रायबरेली। विधान परिषद सदस्य दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा दूसरे विधायक के प्रयास को अपना बताना मंहगा पड़ गया। उन्होंने षडयन्त्र पूर्वक एक आमंत्रण पत्र विधान सभा क्षेत्र हरचन्द्रपुर में इस आशय का बटवाया कि दिनांक 16.12.2015 को दोपहर 12 बजे एम.एल.सी. दिनेश प्रताप सिंह के कर कमलों द्वारा पुल का शिलान्यास किया जायेगा जिसकी धनराशि दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी विधान परिषद निधि से धन निर्गत कर किया है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2015 में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि इस पुल के बाबत दिनेश प्रताप सिंह द्वारा उक्त प्रकरण की खबर भ्रामक रूप से फैलायी गयी है कि उनके द्वारा विधान परिषद निधि से पुल बनवाया जा रहा है, तथा समाचार पत्रों में सरकारी कामकाज पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है, जिसमें आम जनता की विश्सनीयता पर चोट पहुंचायी है, जनता को गुमराह करने का काम किया गया है, एवं स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी कर राजनैतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया है उक्त प्रकरण अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए एम.एल.सी. दिनेश प्रताप सिंह व नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य राकेश कुमार अवस्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 406 के अर्न्तगत विधायक हर चन्दरपुर सुरेन्द्र विक्रमपुर द्वारा खीरो थाने में मु0अ0सं0 437/15 दर्ज कराया गया है।

देश के राष्ट्रीय नेता फर्जी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि देश में किसी को राष्ट्रीय नेता घोषित करने की कोई नीति नहीं है। दरअसल कांग्रेस सांसद पल्लवी गोवर्धन ने यह सवाल उठाया था कि सरकार किसे भारत का राष्ट्रीय नेता मानती है और इसके लिए मानक क्या हैं।

Read
Judgementaajtak.com
Online News Portal For News & Views on Judiciary

बार सदस्यों की ध्यानाकर्षण सभा

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

उच्च न्यायालय में बार के सदस्यों ने यू.सी. सिंह पूर्व कोषाध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन के नेतृत्व में एक ध्यानाकर्षण सभा उच्चन्यायालय प्रंगाण में की जिसमें निम्न बिन्दुओं पर विचार हुआ।

■डेलीकाजलिस्ट का प्रकाशन हरहाल में जारी रहना औचित्यपूर्ण है, ■Hon'ble Benches का Rotation छहः हफ्ते से ज्यादा नहीं होना चाहिए ■अवधबार की बन्द कैन्टीन तत्काल चालू की जाए व बदहाली समाप्त हो ■बॉयलाज के रूल—11 के तहत सदस्यता शुल्क में 20 प्रतिशत रिबेट दिया जाए, लाइफ मेम्बरशिप की तय धनराशि की वैधानिकता स्पष्ट की जाए, ■एक्सक्लुसिव मीटिंग फिक्स होते ही 'एजेन्डा' बार काउन्टर पर उपलब्ध हो, ■मीटिंग का निर्णय नोटिस बोर्ड पर सदस्यों के लिये चस्पा किया जाना चाहिए, ■मा0 न्यायालयों के भीतर अधिवक्ताओं (विशेषतया यंग लायर्स) का उत्पीड़न होने एवं मनोबल गिरने से रोका जाना चाहिए, ■मेडिकल हेल्प हेतु आर्थिक सहयोग के विषय में? ''अमानवीय कठोरता'' समाप्त हो एवं तदनुसार योजनायें कोषरक्षा सहित प्रभावी रहें, ■बी.सी.आई. एवं यू.पी.बी.सी. के लेटर कार्यबहिष्कार से पहले नोटिस बोर्ड पर लगे, ■ओ.बी.ए. द्वारा माह में एक बार महत्वपूर्ण विषय पर स्तरीय सेमिनार कराया जाए। ■सदस्यों द्वारा प्रयोजित साहित्यिक, ■अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले, ■कोर्ट रूम में छोटे ''स्टूल—डायस'' की जगह ''सेन्ट्रल टेबेल साइज के डायस'' की व्यवस्था ओ.बी.ए.—इक्जक्यूटिव द्वारा सुनिश्चित कराई जाए, ■मा0 मुख्य न्यायमूर्ति एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति महोदय के संज्ञान में न्याय व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रत्यक्षतः लाने हेतु बार के पूर्व पदाधिकारियों व सक्रिय सदस्यों के लिये हर माह पर्याप्त दिन व समय निश्चित हो, ■निर्माणधीन नवीन परिसर में चैम्बर व स्पेस अलाटमेण्ट आदि के विषय में भविष्य में मन्थवाइज स्टेटस रिपोर्ट से जरिये नोटिस बोर्ड सदस्यों को अवगत किया जाना चाहिए एवं चैम्बर अलॉटमेण्ट में पारदर्शिता तथा कम आर्थिक भार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ■Registry Counter पर Advocates व Clercks की अलग लाइन होनी चाहिए, ■बार रूम में शीघ्र रूम हीटर लगे व बाथरूम साफ/सुविधायुक्त रखे जाएं, ■लॉन व बार परिसर से गायब होने वाली कुर्सियों की बावत आफिस स्टाफ व चपरासियों की जिम्मेदारी अर्थ दण्ड सहित तय हो। ■इसे रोका जाना चाहिए, ■फोटो कॉपी सेन्टर की नालियों को कवर एवं काई को साफ कराया जाय, ■लाईब्रेरी में जनरल समय से आएं नेट कनेक्टीवीटी सुधारी जाय।

साथियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए महासचिव आर.डी. शाही अन्य पदाधिकारी के साथ आये तथा मांगो के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए इसे कार्यकारिणी की बैठक मे रखने का आश्वासन दिया जिसके लिए सदस्यों ने उनको धन्यवाद दिया।

बार एसोसियेशन में बार कौंसिल कौन

○जियाउद्दीन खान, एडवोकेट

गौतम बद्ध नगर दीवानी एवं फौजदारी अधिवक्ता संघ की याचिका का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के आदेश को भी रद्द कर दिया है। बार काउंसिल ने 24 जुलाई 2015 को आदेश पारित कर अधिवक्ता संघ के चुनाव को निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बार काउंसिल को अधिवक्ता संघों के चुनाव में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। चुनाव को लेकर मॉडल बाई लॉज बनाने मात्र से बार काउंसिल ऑफ इंडिया या यूपी बार काउंसलि को अधिवक्ता संघों की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ता संघ सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत होते हैं, इसलिए उनके मामले में किसी प्रकार के दखल का अधिकार मात्र रजिस्ट्रार सोसाइटीज एंड चिट फंड को ही है। अधिवक्ता संघों के चुनाव को लेकर

गौतम बुध नगर दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के चुनाव पर बार काउंसलि का निर्णय रद्द

पैदा हुए विवाद में सोसाइटीज एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी ही हस्तक्षेप कर सकता है।

गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के वर्ष 2015—16 के चुनाव के लिए जून 2015 में एल्डर कमेटी की बैठक कर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। इसके लिए प्रकाशित मतदाता सूची पर आपत्तियां मांगी गई थी। प्रारंभ में किसी ने आपत्ति दाखिल नहीं की मगर 20 जून को अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महेंद्र सिंह भाटी ने बार काउंसलि यूपी के समक्ष एक शिकायत की कि चुनाव के लिए फर्जी मतदाता सूची तैयार की गई है। शिकायत पर बार काउंसिल के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी को मतदाता सूची की जांच सौंपी गई।